


बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0स0:- 12/अ0प्र0-08-37/2024 485 /पटना, दिनांक 31/12/24


ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक/कार्यालय परिचारी की कमी, लोकल डाक वितरण में अतिरिक्त मानवबल की आवश्यकता को कम करने, डाक टिकट पर होने पर दोहरा व्यय को रोकने तथा विभाग द्वारा निर्गत पत्रों एवं उसके निर्गत पर होने वाले व्यय का अनुश्रवण हेतु निर्गत कोषांग एवं प्रशाखा-02 एवं 03 (विभागीय निगरानी शाखा) का निर्गत कोषांग को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से विलय किया जाता है।

2. निर्गत कोषांग में पत्रों की Scanning एवं E-mail करने हेतु लेखा शाखा द्वारा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर उपस्कर, स्कैनर आदि की आपूर्ति की जायेगी।
3. उक्त कोषांग का सुचारु तरीके से कार्यान्वयन हेतु प्रशाखा-01 द्वारा 01 (एक) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

  
31/12/2024  
(इफतेखार अहमद)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-12/अ0प्र0-08-37/2024 8571 /पटना,दिनांक-31/12/24

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी संबंधित/आईटी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
31/12/2024  
सरकार के उप सचिव  
Am